संख्या-26/2016/1260/43-1-2016-7(1)/2015

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सूचना आयोग,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2016

विषय :- अनुदान संख्या-46 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्षक-2070 में अनुपूरक अनुदान से आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करते हुए सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग के पत्र संख्या-85/लेखा0/ रा0सू0आ0/2016 दिनांक 27 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन के विभिन्न मानक मदों में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 1,59,50,000/- (रूपये एक करोड़ उनसठ लाख पचास हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

(4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-3-2016 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ;अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्स फाइनेंशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी0एल0ए0/डिपाजिट खातों में जमा न किया जाये।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमति के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-46 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
एस0एन0 शुक्ल
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2016/1260(1)/43-1-2016 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

डॉ0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ;अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-26/2016/1260/43-1-2016-7(1)/2015,

दिनांक 20 सितम्बर, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
04-यात्रा व्यय	300
08-कार्यालय व्यय	2000
09-विदयुत देय	1500
11-लेखन सामग्री और फामों की छपाई	300
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्ोल आदि की खरीद	700
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7050
45-अवकाश यात्रा व्यय	3000
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेश्नरी का क्रय	600
योग-	**15950**

(रूपये एक करोड उनसठ लाख पचास हजार मात्र)

डॉ0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।